



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1131) पटना, वृहस्पतिवार, 17 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2026

सं० एल०जी०-01-14/2026-7670/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 सितम्बर 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 33, 2026]

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 (बिहार अधिनियम 12, 1985) में संशोधन करने हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना।— राज्य के गन्ना किसानों के हित में बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड के अधीन बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इकाईयों के परिसम्पत्ति को निगम, राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था, सहकारी संस्था, अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की कम्पनी या अन्य संस्था को हस्तांतरण हेतु बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा-3 की उपधारा 2 को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।

इसलिए भारत गणराज्य के सत्तहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा-3 में संशोधन।—

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि निगम या राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था या सहकारी संस्था या अन्य विभाग या निजी क्षेत्र की कम्पनी या अन्य संस्था उन बंधेजों और शर्तों का जिन्हे अधिरोपित करना सरकार उचित समझे, अनुपालन करने को इच्छुक है या अनुपालन कर चुकी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि, अधिकार, स्वत्व और हित निदेश के प्रकाशन की तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की कोई तारीख न हों) राज्य सरकार में निहित होने के बदले निगम, राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था, सहकारी संस्था, अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की कम्पनी, अन्य संस्था में निहित होंगे।”

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

17 सितम्बर 2026

सं० एल०जी०-01-14/2026-7671/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 सितम्बर 2026 को अनुमत बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 33, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 33, 2026]

BIHAR SUGAR UNDERTAKING (ACQUISITION) (AMENDMENT) ACT, 2026

AN
ACT

to amend the Bihar Sugar Undertaking (Acquisition) Act, 1985 (Bihar Act 12, 1985).

Preamble : In the interest of sugarcane farmers of the State for transfer of assets of the units to the corporation, state funded institution by the state government, cooperative society, other department, private sector company or other institution for establishment of sugarcane-based industries on the land of closed sugar mills under the Bihar State Sugar Corporation Limited it is necessary to substitute sub-section (2) of section 3 of the Bihar Sugar Undertakings (Acquisition) Act, 1985

Therefore, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Sugar Undertaking (Acquisition) (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment of Section 3 of the Bihar Sugar Undertaking (Acquisition) Act, 1985.— Subsection (2) of section 3, of the said act shall be substituted as follows :-

“Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the State Government is satisfied that the corporation, state funded institution, cooperative society, other department, private sector company or other institution is willing to comply with or has complied with such terms and conditions as the Government may deem fit to impose, it may, by order in writing, direct that the rights, titles and interests either on the date of the publication of the direction or from the appointed day not earlier than appointed date, instead of being vested in the State Government, vest in such corporation, state funded institution, cooperative society, other department, private sector company, other institution as may be specified.

”**Balram Dubey,**
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1131—571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>